बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्यूपमेंट प्लाँट, रानीपुर, हरिद्वार- 249403.
Bharat Heavy Electricals Limited (A Govt. of India Undertaking)
HEAVY ELECTRICALS EQUIPMENT PLANT, RANIPUR, HARIDWAR-249403.

पत्रांक : मा.सं. /टीएएक्स/2024/ दिनांक : 12.04.2024

सेवा में,

श्रीमान एस0एच0ओ0 महोदय,
कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार।

विषय : दिनांक 14.04.2024 से 23.04.2024 तक बीएचईएल सेक्टर 4 पीठ बाजार को स्थगित करने के सम्बंध में।

संदर्भ: जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार के आदेश दिनांक 12.04.2024 (संलग्न)।

महोदय,

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल सम्पादनार्थ मतदान दिवस से पूर्व मतदान पार्टियों के रवानगी के लिए बस पार्किंग हेतु बीएचईएल सेक्टर-4 मैदान एवं सेक्टर - 4 पीठ बाजार मैदान का अधिग्रहण जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से दिनांक 15.04.2024 से 23.04.2024 तक के लिए किया गया है।

उक्त मैदान की साफ – सफाई, बैरिकेटिंग एवं अन्य तैयारियों के लिए नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर द्वारा दिनांक 13.04.2024 से कार्य किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत बीएचईएल सेक्टर - 4 पीठ बाजार को दिनांक 14.04.2024 से 23.04.2024 तक के लिए अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

अत: महोदय से अनुरोध है कि कृपया दिनांक 14.04.2024 से 23.04.2024 तक के लिए अग्रिम आदेश तक बीएचईएल सेक्टर 4 पीठ बाजार को लगाने से रोका जाए। साथ ही " Street Vendors (Protection of Livlihood and Regulation of Street Vending) Act 2014 के अनुसार मध्य मार्ग के दोनों ओर 50 मीटर की दूरी तक व्यवसाय करने वाले वेण्डरों को भी व्यवसाय करने से रोका जाए, जिससे कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों।

सधन्यवाद।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(विजय सिंह चौहान)
नगर प्रशासक

प्रतिलिपि: महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार।
2. वरि0 पुलिस अधीक्षक हरिद्वार।
3. कार्यपालक निदेशक बीएचईएल, हरिद्वार।
4. महाप्रबंधक (मा.सं. एवं नगर प्रशासन) बीएचईएल हरिद्वार।

कोतवाली रानीपुर

12/04/24

Scanned with OKEN Scanner

12.04.24

।। आदेश ।।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल सम्पादनार्थ मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 से पूर्व मतदान पार्टियां अपने गंतव्य स्थान के लिए रवानगी करेगी निर्वाचन की बसों को पार्किंग करने हेतु सामुदायिक केन्द्र सेक्टर 04 बी0एच0ई0एल0 रानीपुर हरिद्वार के सामने का मैदान जो पीठ बाजार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और जिसकी भूमि महाप्रबन्धक बी0एच0ई0एल0 रानीपुर हरिद्वार के कब्जे में है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत दिनांक 15 अप्रैल, 2024 से 23 अप्रैल, 2024 तक अधिग्रहित करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय : जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक 161 /29-100 दिनांक 12, अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि–
1. महाप्रबन्धक बी0एच0ई0एल0 रानीपुर हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त मैदान को निर्वाचन के प्रयोगार्थ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार।
3. समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार (नोडल आफिसर, परिवहन)
5. जिला पूर्ति अधिकारी जनपद हरिद्वार।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि उक्त मैदान को साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

Scanned with OKEN Scanner